Case no. 01/2018
CNR NO-CGKG04-000294-2018
Satish Yadov and other

05 / 02 / 2018 राज्य द्वारा श्री मानकर ए0डी0पी0ओ0 उपस्थित।

अभियुक्तगण सहित श्री विजय कुमेटी अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य के लिए नियत है।

प्रार्थी राजेन्द्र मण्डावी तथा अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया।

अतः प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने के उपरांत यह दर्शित है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 294, 323 सहपठित धारा–34, 506 भाग–दो भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप है, जो विधि के अनुसार राजीनामा योग्य है। इस प्रकार राजीनामा आवेदन पत्र विधि के प्रतिकूल नही है।

प्रार्थी ने कथन किया है कि उसका अभियुक्तगण के साथ न्यायालय के बाहर राजीनामा हो चुका है। अभियुक्तगण के साथ यह राजीनामा स्वेच्छयापूर्वक बिना लालच एंव डर के कर रहा है।

इस प्रकार उभयपक्ष द्वारा राजीनामा हो जाने पर धारा–320(8) दण्ड प्रकिया संहिता के अतंर्गत अभियुक्तगण को धारा–294, 323 सहपठित धारा–34, 506 भाग–दो भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में जप्तशुदा डण्डा मुल्यहीन होने से नष्ट किया जावे। शेष एक्स–रे प्लेट अभिलेख का भाग होगा।

अभियुक्तगण जमानत पर है। अतः उनके जमानत मुचलका निरस्त कर भारमुक्त किये जाते है।

इस प्रकार प्रकरण की कार्यवाही समाप्त हुई। अतः प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार में नस्तीबद्व किया जावे।

(मुकेश कुमार पात्रे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नारायणपुर. छ0ग0